



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA  
विकास आयुक्त का कार्यालय/ OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER  
सीपज़ विशेष आयुक्त क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096/ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.  
टेली / Tel : 28294774  
ई-मेल /E-mail : [ddcseepz-mah@nic.in](mailto:ddcseepz-mah@nic.in)  
वेबसाइट / Web-site : [www.seepz.gov.in](http://www.seepz.gov.in)



कार्यालय आदेश सं. 393 / 2023

OFFICE ORDER NO. 393 / 2023

दिनांक 27.09.2023 के कार्यालय आदेश संख्या 391/2023 और 392/2023 के तहत सौंपे गए कार्य आवंटन 9 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी होंगे।

The work allocations assigned vide Office Order Nos. 391/2023 and 392/2023, dated 27.09.2023 will be effective from 9<sup>th</sup> October, 2023.

अधिकारी/कर्मचारियों और लिंक अधिकारी/कर्मचारियों को एक ही समय में छुट्टी नहीं दी जाएगी।

The leave shall not be granted to the Officer/Officials and Link Officer/Officials at the same time.

यह भी निर्देश दिया गया है कि जीएफआर-33 के तहत निर्धारित प्रारूप में कार्यभार सौंपने/ग्रहण करने के सभी लंबित पत्रों/दस्तावेजों को सूचीबद्ध करते हुए उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का कार्य पूरा किया जाना चाहिए। इसकी एक प्रति पांच कार्य दिवसों के भीतर प्रशासन अनुभाग को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

It is also directed that handing over and taking over charge in the prescribed format under GFR-33 should be completed by the Officers / officials, listing down all the pending letters/documents being handed over/taken over. A copy of the same should be submitted to the Administration Section within five working days.

यह विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ.

*Prasad*  
28/09/2023

(डॉ. प्रसाद वरवटकर)

उप विकास आयुक्त,

सीपज़ - सेज़

F. No. SEEPZ-SEZ/ADMN/10/2001-02/Vol-V/13027

28<sup>th</sup> September, 2023

प्रति:

1. सीपज़-सेज़ के सभी अधिकारी/कर्मचारी
2. विकास आयुक्त कार्यालय/संयुक्त विकास आयुक्त कार्यालय/उप विकास आयुक्त
3. कार्यालय आदेश फाइल
4. कार्यालय आदेश रजिस्टर
5. सीपज़ की वेबसाइट